



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017 (आषाढ 28, शक संवत् 1939)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 120 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 125 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

किसान आंदोलन सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव (पूर्वानुबद्ध) पर चर्चा की प्रक्रिया विषयक

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - कल सदन की सहमति अनुसार किसान आंदोलन संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा पूर्ण की जाना है. यद्यपि कल इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसीलिए अब माननीय नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य के बाद माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर आना है.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि सामान्य परंपरानुसार जो माननीय सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव देते हैं, उनकी बात सुनी जाती है और सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ एकाध मंत्री उत्तर देते हैं. इस स्थगन प्रस्ताव पर अभी तक सिर्फ 9 लोग बोल पाये हैं. अतः जो शेष कुछ सदस्य रह गए हैं उनको भी कुछ समय बोलने दिया जाये, जिससे वे अपनी भावनाएं रख सकें.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध से आपने सहमति व्यक्त की. साथ ही उल्लेख किया कि अधिकांश बातें आ चुकी हैं. इसलिए शेष 16 माननीय सदस्यगण (नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर) और सत्ता पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्यगण को 2-2 मिनट में, अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की, जिससे चर्चा हो जाए.

3. स्थगन प्रस्ताव (पूर्वानुबद्ध)

प्रदेश में आंदोलनरत किसानों के ऊपर गोलीचालन होना

प्रदेश में आंदोलनरत किसानों के ऊपर गोलीचालन होने के संबंध में दिनांक 18 जुलाई, 2017 को प्रारम्भ चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

- (19) श्री उमंग सिंघार
- (20) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
- (21) कुंवर विक्रम सिंह
- (22) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
- (23) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (24) डॉ. मोहन यादव
- (25) श्री हर्ष यादव
- (26) डॉ. रामकिशोर दोगने
- (27) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
- (28) कुंवर सौरभ सिंह
- (29) श्री नीलेश अवस्थी
- (30) श्री सुखेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

- (31) श्रीमती अर्चना चिटनीस, महिला एवं बाल विकास मंत्री
- (32) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
- (33) श्री प्रताप सिंह
- (34) श्री मधु भगत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

- (35) श्री गोविन्द सिंह पटेल
- (36) श्री सोहनलाल बाल्मीक
- (37) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा
- (38) श्री निशंक कुमार जैन
- (39) श्री रजनीश सिंह
- (40) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
- (41) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (42) श्रीमती झूमा सोलंकी
- (43) श्री यादवेन्द्र सिंह
- (44) श्री सचिन यादव

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

- (45) श्री तरूण भनोत
- (46) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
- (47) श्री गिरीश भण्डारी
- (48) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री जितेन्द्र सिंह गेहलोत, सदस्य की आलोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर में पेयजल व्यवस्था होने,
- (2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम भौंती, तहसील पिछोर में स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा होने,
- (3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के कर्रापुर कृषि उपज मंडी को मंडी का दर्जा न दिये जाने,
- (4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के राज मार्ग क्रमांक - 2, भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा को अनुबंध अनुसार निर्माण कंपनी द्वारा मरम्मत नहीं कराये जाने,
- (5) श्री संजय उइके, सदस्य की बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन होने,
- (6) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विधानसभा के किरनापुर विकासखण्ड अंतर्गत कई ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं तथा शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को न मिलने,
- (7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा के कई ग्रामों में चकबंदी का लाभ कृषकों को न मिलने,
- (8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य की भोपाल, गोविन्दपुरा क्षेत्र में भेल महाविद्यालय हेतु बी.एच.ई.एल द्वारा भूमि मुहैया न कराने,
- (9) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले के इन्दरगढ़ में 132 के.व्ही.ए. विद्युत सब-स्टेशन का कार्य अधूरा होने तथा
- (10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर में छात्र/छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया और परम्परा विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि - स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के बाद कोई विषय नहीं लिया जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि - यदि समय बचा हो तो आगे कार्यवाही चल सकती है। सदन का समय 5:30 बजे तक होता है। उसके बाद भी सदन की कार्यवाही चलती है। पूर्वोदाहरण आप देख लें। जब मुलताई कांड हुआ था उसके संबंध में चर्चा के बाद भी कार्यवाही चली थी। आप संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार, कौल एण्ड शकधर पढ़ लें, इसमें लिखा है कि यदि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समय बचे तो नियमित कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है।

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नियम 53 से 58 तक स्थगन प्रस्ताव के नियम अंकित हैं। नियम 57 में स्पष्ट लिखा है कि - "प्रस्ताव मध्याह्नोत्तर 3 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय, जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाए, लिया जायेगा" नियम 58 (1) के अनुसार - "जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे 2 घण्टे बीत जाने पर, यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो, तो वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात् कोई प्रश्न न रखा जा सकेगा"। उसके बाद कुछ नहीं पूछ सकते। उस पर वाद-विवाद नहीं होता और न ही कोई प्रश्न रखा जाता है। दो घण्टे से काफी ज्यादा चर्चा कराई है।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (क) शहपुरा थर्मल पाँवर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,
- (ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2015-16,
- (ग) एम.पी. पाँवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,
- (घ) बाणसागर थर्मल पाँवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16

पटल पर रखे।

(2) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा।

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं -

- (1) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5, दिनांक 18 मई, 2015,
- (2) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 18 मई, 2015,
- (3) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,
- (4) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,
- (5) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12, दिनांक 18 मई, 2015,
- (6) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-4, दिनांक 18 मई, 2015,
- (7) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 18 मई, 2015,
- (8) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 04 जून, 2015,
- (9) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 27 जून, 2015,
- (10) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 01 जुलाई, 2015,
- (11) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 25 जुलाई, 2015, (शुद्धि पत्र)
- (12) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11, दिनांक 25 जुलाई, 2015,
- (13) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 24 अगस्त, 2015, (शुद्धि पत्र)
- (14) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 10 सितंबर, 2015,
- (15) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 24 सितंबर, 2015,
- (16) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 29 सितंबर, 2015,
- (17) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 29 सितंबर, 2015,

- (18) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015,
- (19) क्रमांक एफ 2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015,
- (20) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 02 नवम्बर, 2015,
- (21) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 04 जनवरी, 2016,
- (22) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 17 फरवरी, 2016,
- (23) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 09 मार्च, 2016,
- (24) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 12 अप्रैल, 2016, (शुद्धि पत्र)
- (25) क्रमांक एफ2-10-2016-61-लोसेप्र, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016,
- (26) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (27) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-28, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (28) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-27, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (29) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (30) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-25, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (31) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (32) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-18, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (33) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-7, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (34) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-30, दिनांक 09 मार्च, 2017,
- (35) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-31, दिनांक 09 मार्च, 2017,
- (36) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-29, दिनांक 09 मार्च, 2017,
- (37) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,
- (38) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-32, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,
- (39) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21, दिनांक 29 मई, 2017,
- (40) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04, दिनांक 29 मई, 2017,
- (41) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 07 जून, 2017,
- (42) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 07 जून, 2017,
- (43) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 07 जून, 2017,
- (44) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34, दिनांक 07 जून, 2017,
- (45) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35, दिनांक 07 जून, 2017,
- (46) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-36, दिनांक 07 जून, 2017,
- (47) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-37, दिनांक 07 जून, 2017,
- (48) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38, दिनांक 07 जून, 2017,

पटल पर रखीं.

8. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

9. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत एवं सुदर्शन गुप्ता, सदस्यगण ने इंदौर स्थित एम.वाय. अस्पताल में मरीजों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित किया.

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

श्री शरद जैन (एडवोकेट), राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की नागदा शहर स्थित उद्योगों द्वारा स्थाई श्रमिकों से कार्य न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना को बाद में लेने की घोषणा सभापति महोदय द्वारा की गई.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (2) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
- (3) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
- (4) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
- (5) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
- (6) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
- (7) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
- (8) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
- (9) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
- (10) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (11) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
- (12) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
- (13) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्यापुर)
- (14) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
- (15) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (16) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
- (17) श्री प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

11. प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रबंध मण्डलों के लिए सदस्यों के निर्वाचन संबंधी घोषणा

सभापति महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के क्रमशः तीन-तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन-तीन उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मण्डल के लिए केवल तीन-तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं, अतः मैं, निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

- (1) श्री केदारनाथ शुक्ल
- (2) श्री गिरीश गौतम
- (3) श्री तरुण भनोत

2. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

- (1) श्री दिलीप सिंह शेखावत
- (2) श्री लाखन सिंह यादव
- (3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (2) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

अपराहन 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 (29 आषाढ, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 19 जुलाई, 2017

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा